

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/99/2011

दर्ज दिनांक:-22.12.2011

1. हिमांशु पता-प्रार्थी

बनाम

2. मानसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

गजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। पटवारी/तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादी ने वाद ग्रस्त आराजी में से अपना 2/3 हिस्सा बेच दिया है। ऐसी स्थिति में कुरा रिपोर्ट तैयार किया जाना सम्भव नहीं है।

चूंकि वादी ने वाद ग्रस्त आराजी का स्वयं का हिस्सा बेच दिया है। केता द्वारा मुकदमा में पक्षकार बनने की प्रक्रिया भी नहीं की गई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कुरा किया जाना सम्भव नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर